

कायालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 1998 एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 07 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार वरिष्ठ वेतनमान/एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल कॉलम संख्या 09 के अनुसार, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम व्या. मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विषय	जन्म तिथि	व्या. में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि/एसीपी गणना हेतु नियमित नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUSHIL KUMAR TAK GSSS RAJENDRA AJMER	अंग्रेजी	09.11.1967	DPC	02.07.1990	III 30वर्षीय	—	एल-14	02.07.2020
2	SARDAR SINGH GSSS BIDASAR CHURU	अंग्रेजी	10.03.1971	DPC	01.07.1998	II 20वर्षीय	—	एल-13	01.07.2018
3	NIRMALA CHATURVEDI GGSSS BASSI CHITTAURGARH	अंग्रेजी	28.05.1961	DPC	14.12.1990	III 30वर्षीय	—	एल-14	14.12.2020
4	MAHESH KUMAR SHARMA, GSSS JUGRAJPURA SIKAR	संस्कृत	09.06.1963	DPC	04.12.1990	III 30वर्षीय	—	एल-13	04.12.2020
5	OM LATA MAHUR GGSSS DEOLI TONK	संस्कृत	01.01.1970	DPC	24.03.1999	II 20वर्षीय	—	एल-13	24.03.2019
6	GIRIRAJ PALIWAL (Retd.) GSSS UNWAS, RAJSAMAND	संस्कृत	14.03.1961	DPC	20.04.1990	III 30वर्षीय	—	एल-13	20.04.2020

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जाएँ।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक :- 02/08/2021

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी/संस्कृत/वो-2/2021
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर